भारत सरकार
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
ईंधन पुनर्संसाधन प्रभाग
नाभिकीय पुन:चक्रण वर्ग

ट्रांबे, मुंबई- 400 085

ई- निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा सूचना सं. BARC/FRD/ET/2/2024-2025 दिनांक: 04/10/2024

I. निविदा आमंत्रण सूचना का विवरण

1. भारत के राष्ट्रपति की ओर से **मुख्य अभियंता, नाभिकीय पुन:चक्रण वर्ग,** भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्रांबे, मुंबई-400 085 द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु उन पात्र ठेकेदारों से दो भागों (भाग 'क' तकनीकी वाणिज्यिक बोली एवं भाग 'ख'– वित्तीय बोली) में **ई-निविदाकरण** के माध्यम से ऑनलाईन मद-दर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं **रीप्रोसेसिंग प्लांट, ट्रॉम्बे-400085 में संबंधित केबल बिछाने और ट्यूबिंग सहित फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम के उन्नयन के लिए स्थानीय जंक्शन बक्से और पैनलों का निर्माण और प्रतिस्थापन** में हो तथा जिन्हें परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि) में ऐसे महत्वपूर्ण समान कार्य करने का पर्याप्त अनुभव एवं क्षमता हो।

(i)	कार्य का नाम	**रीप्रोसेसिंग प्लांट, ट्रॉम्बे-400085 में संबंधित केबल बिछाने और ट्यूबिंग सहित फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम के उन्नयन के लिए स्थानीय जंक्शन बक्से और पैनलों का निर्माण और प्रतिस्थापन**
(ii)	अनुमानित लागत	**रु. 49,47,000.00 /- + जीएसटी जैसा लागू हो**
(iii)	बयाना राशि जमा (ईएमडी)	**रु. 1,16,749.20 /-**
टिप्पणी : बयाना राशि को, वरीयत: सावधि जमा रसीद, डिमान्ड ड्राफ्ट, बैंकर चेक/ पे ऑर्डर की मूल प्रति के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा यह किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी तथा **लेखा अधिकारी, भापअ केंद्र, मुंबई** के नाम से होना चाहिए। **बयाना राशि जमा के लिए चैक/ नकद स्वीकार नहीं किए जाएंगे।** बयाना राशि का एक भाग बैंक गारंटी के रूप में भी स्वीकार्य है। ऐसे मामले में बयाना राशि का कम से कम 50% अथवा **रु. 20.00 लाख**, जो भी कम हो, उक्त निर्धारित रूप में होना चाहिए तथा शेष राशि निविदा दस्तावेज़ के परिशिष्ट 'ए' के अनुसार अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार की जा सकती है। बयाना राशि जमा के एक भाग के रूप में प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी निविदा के प्रस्तुतिकरण की तारीख से छह महीने या इससे अधिक समय के लिए वैध रहेगी। बोली के साथ जमा की गई बयाना राशि को निष्पादन गारंटी (पुष्टिकरण के पश्चात) प्राप्त करने के पश्चात लौटा दिया जाएगा।		
iv)	निविदा दस्तावेज़ का मूल्य	**:शून्य**
(v)	निविदा प्रक्रिया शुल्क	**: शून्य**
(vi)	समाप्ति की अवधि	**: 11 कैलेन्डर माह**
(vii)	निविदा दस्तावेज़ देखने एवं डाउनलोड करने के लिए उसकी उपलब्धता की तारीख	: https://eprocure.gov.in/eprocure/app वेबसाइट पर **दिनांक 15/10/2024 (09:00 बजे) से 04/11/2024 (18:00 बजे) तक। विस्तृत एनआईटी केवल देखने के लिए वेबसाइट www.barc.gov.in पर भी उपलब्ध है।**
(viii)	बोली-पूर्व स्पष्टीकरण की तारीख	ठेकेदारों से अनुरोध है कि दिनांक 28/**10/2024 (18:00 बजे)** तक ई-

		मेल द्वारा अपनी बोली-पूर्व शंकाएं भेजें। बोली पूर्व बैठक स्थल दौरे के साथ दिनांक 23/10/**2024** (11.00 बजे) को आयोजित की जाएगी। सभी ठेकेदारों को बोली-पूर्वस्पष्टीकरण दिनांक 28/**10/2024 (18:00 बजे** को https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर अपलोड किए जाएंगे।
(ix)	निविदाओं के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण की आरंभिक तारीख	**15/10/2024 (9.00 बजे)**
(x)	निविदाओं के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण की अंतिम तारीख एवं समय	**04/11/2024 (18.00 बजे)**
(xi)	ईएमडी के प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम तारीख	दिनांक **08/11/2024 (15:00 बजे)** तक या उससे पहले ट्रांबे, मुंबई 400 085 स्थित भापअ केंद्र के नॉर्थ गेट पर अध्यक्ष एफआरडी (अथवा उनके प्रतिनिधि श्री सम्राट साहू) के पास जमा किये जाएं । मूल दस्तावेजों को वरीयत: व्यक्तिगत रूप में प्रस्तुत करें। तथापि, डाक अथवा कूरियर द्वारा भेजे गए दस्तावेजों पर भी विचार किया जाएगा यदि वे निर्धारित तारीख एवं समय के भीतर प्राप्त हो जाते हैं ।
(xii)	भाग 'क' ऑनलाइन खोलने की तारीख एवं समय	**08/11/2024 (15.30 बजे)**
(xiii)	पात्र बोलीकर्ताओं के भाग-ख खोलने की तारीख	बाद में, वेबसाइट https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर सूचित की जाएगी ।

II. प्रारंभिक पात्रता मानदंड

2.

i. बोलीकर्ता को, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार (डीपीआईआईटी) द्वारा जारी सार्वजनिक प्रापण (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 (समय-समय पर यथासंशोधित) का अनुपालन करना होगा। साथ ही, बोलीकर्ता को, बोली के साथ, विषयक निविदा द्वारा उपलब्ध करवायी जानेवाली सामग्री के ....% स्थानीय उत्पाद हेतु वचनबंध प्रस्तुत करना होगा।

ii. सार्वजनिक प्रापण (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 में यथा परिभाषित केवल 'श्रेणी-**I** स्थानीय आपूर्तिकर्ता' विषयक निविदा में भाग लेने के पात्र होंगे।

3. बोलीकर्ता के पास निम्नलिखित होना चाहिए :

(ए) ठेकेदारों के समुचित वर्ग में पंजीयन, यदि कोई हो ।

(बी) निविदा खुलने की तारीख से पूर्व एक वर्ष के भीतर जारी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से कम से कम रु. **23,34,984.00** की राशि हेतु बैंक ऋण शोधन क्षमता प्रमाणपत्र ।

(सी) दिनांक **31** मार्च**, 2024** को समाप्त पिछले **3** वर्षों के दौरान औसत वार्षिक वित्तीय टर्नोवर कम से कम रु. **58,37,460.00/-** होना चाहिए । यह पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा विधिवत लेखा परिक्षित होना चाहिए।

(डी) दिनांक **31 मार्च 2024** को समाप्त पिछले 5 वर्षों के दौरान दो वर्ष से अधिक में घाटा नहीं हुआ होना चाहिए। यह पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा विधिवत लेखा परिक्षित होना चाहिए।

(ई) पिछले 7 वर्षों में किए गए समान कार्यों की सूची । ☐

(एफ) जिन ग्राहकों के लिए कार्य किया गया है उनके द्वारा जारी कार्यनिष्पादन प्रमाणपत्र।

(जी) समय पर कार्य पूरा करने के लिए निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी, उपस्करों, उपसाधनों तथा अन्य

अवसंरचनात्मक सुविधाएं ।

(एच) कार्य के उचित निष्पादन हेतु आवश्यक तकनीकी एवं प्रशासन स्टाफ

(आई) स्थाई लेखा संख्या (पैन) एवं जीएसटी प्रमाणपत्र

(जे) ईपीएफ एवं ईएसआईसी स्कीम पंजीकरण संख्या

(के) विविध ग्राहकों के लिए निष्पादित कार्य के मूल्य के प्रमाण हेतु टीडीएस प्रमाणपत्र

(एल) घोषणा प्रस्तुत करें कि उन्हें किसी भी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा निविदा से रोका नहीं गया है।

4. बोलीकर्ता द्वारा संतोषजनक रूप से निम्नलिखित कार्य पूर्ण किए होने चाहिए (निष्पादित किए गए कार्यों के ग्राहक द्वारा जारी निष्पादन प्रमाणपत्र के आधार पर)

  i. कम से कम प्रत्येक **₹ 23,34,984** लाख की लागत के समान 3 (तीन) कार्य या

  ii. कम से कम प्रत्येक **₹ 35,02,476** लाख की लागत के समान 2 (दो) कार्य या

  iii. निविदा आमंत्रित किए जाने के पिछले महीने के अंतिम दिन को समाप्त हो रहे अंतिम 7 (सात) वर्षों के दौरान कम से कम **₹ 46,69,968** लाख मूल्य का 1 (एक) समान कार्य तथा निविदाओं के प्रस्तुतीकरण की अंतिम तारीख के पिछले दिन को समाप्त पूर्ण कार्यों पर भी विचार किया जाएगा। यदि पात्र समान कार्य केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/केंद्रीय स्वायत्त निकाय में नही किए गए हैं तो बोलीकर्ता को इसके लिए टीडीएस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा ।

5. इस प्रयोजन हेतु "कार्य की लागत" का तात्पर्य है पूरे हुए कार्य की सकल लागत जिसमें सरकार/क्लायंट द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्रियों की लागत शामिल हैं, लेकिन इसमें नि:शुल्क आपूर्ति की गयी सामग्री शामिल नहीं होगी। समान कार्य का तात्पर्य है **"औद्योगिक परिसर में नियंत्रण पैनल या जंक्शन बक्से के निर्माण और स्थापना, केबल बिछाने और समाप्ति और एसएस ट्यूब बिछाने और समाप्ति का निष्पादन"**

7. निष्पादित कार्य के मूल्य को 7% प्रति वर्ष की सामान्य दर पर कार्य की वास्तविक मूल्य में वृद्धि करते हुए वर्तमान लागत स्तर तक लाया जाएगा जिसका परिकलन, कार्य पूर्ण किए जाने की तारीख से निविदाओं की बिक्रि की आखिरी तारीख तक किया जाएगा।

8. ठेकेदार की बोली क्षमता निविदा में दिए गए कार्य की अनुमानित लागत के समतुल्य या उससे अधिक होनी चाहिए । बोली क्षमता का हल निम्नलिखित सूत्र द्वारा निकाला जाएगा

बोली क्षमता = [A x N x 2] - B

जहां

A = पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी एक वर्ष में औसत वार्षिक वित्तीय टर्नोवर अधिकतम मूल्य जिसमें पूर्ण कार्य तथा प्रगति पर कार्य दोनों को ध्यान में रखा जाएगा ।

N = जिस कार्य के लिए बोली आमंत्रित की गई है उसकी पूर्णता के लिए निर्धारित वर्ष की संख्या ।

B = विद्यमान प्रतिबद्धताओं एवं जिस कार्य के लिए बोली आमंत्रित की गई है उसकी पूर्णता की अवधि के दौरान पूर्ण होने वाले चालू कार्यों का मूल्य ।

9. **बोलीकर्ता भारत में एक पंजीकृत फर्म होना चाहिए। संयुक्त उद्यम तथा /अथवा कंसोर्टियम स्वीकार्य नहीं है।**

III. सूचना :

10. निविदा दस्तावेज़ दो भागों में अर्थात भाग 'क' (तकनीकी वाणिज्यिक बोली) एवं भाग 'ख' (कीमत बोली) में तैयार किया गया है। भाग 'क' में तकनीकी वाणिज्यिक बोली है यथा : खंड **I**-ई निविदा आमंत्रण सूचना

(अंग्रेजी और हिंदी भाषा में), खंड II- करार का प्रपत्र एवं ठेकेदारों के मार्गदर्शन हेतु सामान्य नियम एवं निदेश, ज्ञापन, खंड III- ठेके की सामान्य शर्तें , अतिरिक्त शर्तें, खंड IV- निविदाकारों को विशेष अनुदेश, खंड V- तकनीकी विनिर्देश, खंड VI- टेंडर ड्राइंग्स की सूची, खंड VII- अनुसूची 'क'- (विभाग द्वारा आपूर्ति की जानेवाली सामग्रियों की अनुसूची), परिशिष्ट- 'क' बोली प्रतिभूति (बैंक गारंटी), परिशिष्ट- 'ख', निष्पादन प्रतिभूति के लिए बीजी बोंड का प्रपत्र, अनुलग्नक 'क'-कर्मचारियों एवं मशीनरी का विवरण, अनुलग्नक 'ख'- भवन निर्माण सामग्रियों के अनुमोदित विनिर्माता की सूची तथा अनुसूची 'क' से 'च' का प्रोफार्मा। भाग 'ख' (कीमत बोली) में अनुसूची 'ख'-प्रमात्राओं की अनुसूची है। सफल बोलीकर्ता को कार्य सौंपे जाने के बाद, उक्त सभी दस्तावेज़ करार के एक भाग के रूप में शामिल होंगे।

मानक दस्तावेजों की प्राप्ति : भावी बोलीकर्ता या सामान्यजन उक्त दस्तावेजों को वेबसाइट www.barc.gov.in☛Tenders and NITs☛Other Information से नि:शुल्क देख सकते हैं एवं इसके पीडीएफ फार्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं।

IV. सीपीपी की वेबसाइट में ई-निविदाकरण हेतु दिशा-निर्देश

सीपीपी पोर्टल में निविदाकरण की प्रकिया में भाग लेने के लिए, भावी बोलीकर्ताओं के पास श्रेणी-।।। डिजिटल हस्ताक्षर का वैध प्रमाणपत्र होना चाहिए। निविदा के पात्रता मानदंडों से संबंधित समस्त प्रलेख सीपीपी पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। बोलीकर्ता को सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण, बोली की अपेक्षानुरूप तैयारी तथा सीपीपी पोर्टल पर बोलियों की ऑनलाइन प्रस्तुति में सहायता के लिए निम्नलिखित अनुदेश दिए गए है।
सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन बोलियां प्रस्तुत करने संबंधी अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट https://eprocure.gov.in/eprocure/app देखें।

11. पंजीकरण

(i) बोलीकर्ताओं को सीपीपी पोर्टल पर लिंक "ऑनलाइन बोलीकर्ता पंजीयन" पर क्लिक करते हुए केंद्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल (URL:https://eprocure.gov.in/eprocure/app) के ई-प्रापण माड्यूल पर स्वयं को नामांकित करना होगा। यह सुविधा निशु:ल्क है।

(ii) नामांकन प्रकियाके एक भाग के रूप में, बोलीकर्ताओं को एक विशिष्ट यूजर नेम का चयन करना होगा तथा अपने एकाउन्ट के लिए एक पासवर्ड निर्मित करना होगा।

(iii) बोलीकर्ताओं को यह सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण प्रकिया के एक भाग के रूप में अपना वैध ई-मेल पता एवं मोबाइल नंबर पंजीकृत करें। भविष्य में सीपीपी पोर्टल से किसी भी सूचना के लिए इसका उपयोग किया जाएगा।

(iv) नामांकन के पश्चात, बोलीकर्ताओं को अपने प्रोफाइल के साथ सीसीए, भारत द्वारा मान्यता-प्राप्त किसी भी प्रमाणन प्राधिकारी (उदाहरणार्थ **Sify / nCode / eMudhra** इत्यादि) की ओर से जारी किए गए वैध डिजिटल हस्ताक्षर (साइनिंग Key usage के साथ श्रेणी-।।। प्रमाणपत्र) पंजीकृत करने होंगे।

(v) एक बोलीकर्ता केवल एक डीएससी पंजीकृत करेगा। कृपया ध्यान दें कि बोलीकर्ता की यह जिम्मेदारी है कि यह सुनिश्चित करें कि वे अपना डीएससी किसी और को न दें ताकि उसके गलत उपयोग से बचा जा सके।

(vi) तत्पश्चात बोलीकर्ता अपना प्रयोक्ता आईडी/ पासवर्ड तथा डीएससी/ई-टोकन के पासवर्ड टाइप करते हुए सुरक्षित लॉग-इन के माध्यम से वेबसाइट पर लॉग कर सकते हैं।

12. निविदा दस्तावेजों की खोज

(i) विविध मानकों के अनुसार से सक्रिय निविदाओं की खोज में बोलीकर्ताओं की सहायता के लिए सीपीपी पोर्टल में खोज के कई विकल्प उपलब्ध करवाए गए हैं। इन मानकों में निविदा आईडी, संगठन का नाम, स्थान, तिथि, मूल्य इत्यादि शामिल हैं। निविदाओं की प्रगत खोज के लिए भी एक विकल्प है जिसमें बोलीकर्ता एक से अधिक मानकों जैसे कि संगठन का नाम, संविदा का प्रकार, स्थान, तिथि अन्य की-वर्ड इत्यादि को लेते हुए सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा की खोज कर सकते हैं।

(ii) जिस निविदा में बोलीकर्ता की रुचि है, उसके चयन के पश्चात, वे आवश्यक दस्तावेज़/निविदा समय-सारणी डाउनलोड कर सकते हैं। इन निविदाओं को संबंधित 'My Tenders'नामक फोल्डर में संचयित किया जा सकता है । इसके फलस्वरूप, निविदा दस्तावेज़ में शुद्धिपत्र जारी किए जाने की स्थिति में सीपीपी पोर्टल की ओर से एसएमएस/ ई-मेल के माध्यम से बोलीकर्ता को सूचना प्रेषित की जा सकेगी।

(iii) बोलीकर्ता, प्रत्येक निविदा को प्रदान की गई यूनीक निविदा आईडी को नोट कर लें ताकि हेल्पडेस्क से स्पष्टीकरण/ सहायता, यदि आवश्यक हो, तो वह सुगमता से प्राप्त हो सके ।

13. बोलियों की तैयारी

(i) बोलीकर्ता को निविदा दस्तावेज़ के संबंध में प्रकाशित शुद्धिपत्र में उल्लिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए निविदा दस्तावेज़ प्रस्तुत करने चाहिए ।

(ii) कृपया बोली के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों को समझने के लिए निविदा विज्ञापन एवं निविदा दस्तावेज़ को ध्यान से पढ़ लें। कृपया बोली दस्तावेजों को प्रस्तुत करने हेतु लिफाफों की संख्या, प्रस्तुत किए जाने हेतु अपेक्षित प्रत्येक दस्तावेज़ का नाम एवं विषय वस्तु सहित दस्तावेजों की संख्या नोट कर लें । उक्त बिंदु से किसी भी प्रकार का विचलन होने पर बोली को अस्वीकार किया जा सकता है ।

(iii) बोलीकर्ताओं को निविदा दस्तावेज़/ समय सारणी में यथावर्णित,प्रस्तुत किए जाने वाले बोली दस्तावेज़ पहले से ही तैयार करके रख लेने चाहिए तथा सामान्यत: ये दस्तावेज़ PDF / XLS / RAR / DWF/ JPG फार्मेट में हो बोली दस्तावेज़ ब्लैक एंड व्हाइट विकल्प सहित 100 dpi के साथ स्कैन कर लिए जाएं ताकि स्कैन किए गए दस्तावेज़ का साइज कम हो सके ।

(iv) प्रत्येक बोली के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किए जानेवाले मानक दस्तावेजों के समान सेट को हर बार अपलोड करने में लगने वाले समय एवं मेहनत से बचने के लिए, ऐसे मानक दस्तावेजों (उदाहरणार्थ पैन कार्ड की प्रति, वार्षिक रिपोर्टें, लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र इत्यादि) को एकबारगी अपलोडिंग का प्रावधान बोलीकर्ताओं के लिए उपलब्ध करवाया गया है। ऐसे दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए बोलीकर्ता उन्हें उपलब्ध कराए गए "My Space"या "Other Important Documents'' जैसे एरिया का उपयोग कर सकते हैं । बोली प्रस्तुत करते समय इन दस्तावेजों को सीधे "My Space"एरिया से जमा किया जा सकता है तथा उन्हें बार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। इसके परिणामस्वरूप बोली प्रस्तुति प्रकिया में कम समय लगेगा।

नोट: "My Documents" स्पेस केवल एक संग्रह क्षेत्र है जो बोलीकर्ताओं को अपलोडिंग प्रक्रिया में सहायता हेतु उपलब्ध करवाया गया है। यदि बोलीकर्ता ने "My Documents" स्पेस में अपने दस्तावेज़ अपलोड कर दिए हैं, तो इससे यह बात स्वत: सुनिश्चित नहीं हो जाती कि ये दस्तावेज़ तकनीकी बोली का एक भाग हो चुके हैं।

14. बोलियों की प्रस्तुति

(i) बोलियां सीपीपी वेबसाइट https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर ऑनलाइन प्रस्तुत की

जाएंगी ।

(ii) बोलीकर्ता को, पर्याप्त समय पूर्व वेबसाइट पर लॉगिन कर लेना चाहिए ताकि वे समय पर अर्थात निर्धारित तारीख को या उससे पूर्व बोली को अपलोड कर सकें। अन्य कारणों से, किसी भी प्रकार के विलंब के लिए बोलीकर्ता जिम्मेदार होंगे ।

(iii) निविदा दस्तावेज़ में बताए गए अनुसार बोलीकर्ता को सभी आवश्यक बोली दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर करने होंगे तथा एक-एक करके उन्हें अपलोड करना होगा।

(iv) यथा लागू निविदा शुल्क/ ईएमडी का भुगतान करने के लिए बोलीकर्ता को भुगतान विकल्प में "ऑफलाइन" का चयन करना होगा तथा भुगतान के माध्यम का विवरण भरना होगा ।

(v) बोलीकर्ता को निविदा दस्तावेज़ में निर्धारित अनुदेशों के अनुसार ईएमडी तैयार करनी होगी। उसकी मूल प्रति को डाक द्वारा/कुरियर से/ व्यक्तिगत रूप से संबंधित पदाधिकारी को, बोली प्रस्तुति की अंतिम तिथि तक या उससे पूर्व या निविदा दस्तावेज़ में यथा निर्धारित समयानुसार अग्रेषित करनी होगी। प्रत्यक्ष रूप से भेजे गए डीडी/ भुगतान के किसी अन्य स्वीकृत माध्यम से किए गए भुगतान का विवरण स्कैन की हुई प्रति में उपलब्ध विवरण एवं बोली प्रस्तुति के समय भरे गए डाटा से मेल खाना चाहिए अन्यथा अपलोड की गई बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(vi) एजेंसी को, कार्य से संबंधित बोली पूर्व स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तो उसे डाउनलोड करना है और उसे (स्कैन की गई प्रति) मोहर सहित हस्ताक्षर के साथ अपलोड करना है । संशोधित दस्तावेज़ (यदि कोई हों) को ई-निविदा पोर्टल पर अपलोड करना होगा ।

(vii) बोलीकर्ता कृपया ध्यान दें कि वे अपनी वित्तीय बोलियां, उन्हें उपलब्ध करवाए गए प्रारूप में ही प्रस्तुत करें तथा अन्य कोई भी प्रारूप स्वीकार्य नहीं होगा । यदि मूल्य की बोली को निविदा दस्तावेज़ सहित मानक BoQ प्रारूप के रूप में उपलब्ध करवाया गया है, तो सभी बोलीकर्ताओं द्वारा उसे ही डाउनलोड किया जाना होगा और उसमें ही विवरण भरना होगा। बोलीकर्ताओं को BoQ फाइल डाउनलोड करनी होगी, उसे खोलना होगा एवं आसमानी रंग के खानों (परिवर्तनीय) में संबंधित वित्तीय कोट एवं अन्य विवरण (जैसे कि बोलीकर्ता का नाम) भरना होगा । किसी अन्य खाने में कोई परिवर्तन नहीं करना है। समस्त विवरण भरने के पश्चात, बोलीकर्ता को फाइल सेव करनी चाहिए तथा फाइल का नाम अपरिवर्तित रखते हुए उसे ऑनलाइन प्रस्तुत करना चाहिए। यह पाए जाने पर कि बोलीकर्ता द्वारा फाइल में परिवर्तन किया गया है, बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

(viii) निविदाकर्ताओं को यह सलाह दी जाती है कि वे पर्याप्त समय पूर्व ही अपने दस्तावेज़ अपलोड कर लें ताकि सर्वर पर अंतिम समय पर होने वाली व्यस्तता या अपलोड करने में किसी प्रकार की जटिलता की स्थिति से बचा जा सके। दस्तावेज़ अपलोड करने के दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाइयों जिसमें सर्वर एवं तकनीकी समस्याएं भी शामिल हैं, के लिए भापअ केंद्र किसी भी हाल में जिम्मेदार नहीं होगा ।

(ix) बोली दस्तावेजों को ब्लैक एंड व्हाइट विकल्प सहित 100 dpi के साथ स्कैन किया जाए ताकि स्कैन किए गए दस्तावेजों का साइज कम हो सके हो ।

(x) बोलीकर्ताओं द्वारा बोलियों की प्रस्तुति के हेतु, बोलियों के खुलने आदि के लिए निर्धारित समय के संदर्भ के लिए सर्वर समय (जो बोलीकर्ता के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होता है।) को मानक समय माना जाएगा। बोली प्रस्तुति के दौरान बोलीकर्ता को इसी समय का पालन करना चाहिए।

(xi) नियत तिथि एवं समय (समय-विस्तार सहित) के पश्चात निविदा दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है ।

(xii) डाटा की गुप्तता को सुनिश्चित करने के लिए बोलीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों को PKI इनक्रिप्शन तकनीक का प्रयोग करते हुए इनक्रिप्ट किया जाएगा। प्रस्तुत किए गए डाटा को कोई भी अप्राधिकृत व्यक्ति बोली खुलने के समय तक देख नहीं पाएंगे। बोली की गोपनीयता को सुरक्षित सॉकेट लेयर 128 ब्रिट इनक्रिप्शन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए बनाए रखा जाता है। संवेदनशीन फील्डों का डाटा स्टोरेज इनक्रिप्शन किया जाता है । सर्वर पर अपलोड किए जाने वाले प्रत्येक बोली दस्तावेज़ को सिस्टम निर्मित सिमिट्रिक key का प्रयोग करते हुए, सिमिट्रिक इनक्रिप्शन किया जाता है। उसके बाद क्रेता/ बोली खोलनेवाले प्राधिकारी की पब्लिक keys का

प्रयोग करते हुए, उक्त key का एसिमिट्रिक इनक्रिप्शन किया जाता है। कुल मिलाकर, अपलोड किए गए निविदा दस्तावेजों को बोली खोलने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा बोली के खोले जाने के बाद ही पढ़ा जा सकता है। अपलोड किए गए निविदा दस्तावेजों को बोली खोलने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा बोली के खोले जाने के बाद ही पढ़ा जा सकता है।

(xiii) बोलियों को समय पर सफलतापूर्वक अपलोड करने पर (अर्थात पोर्टल में **"Freeze Bid Submission"**क्लिक करने के पश्चात) पोर्टल पर सफल बोली प्रस्तुति का संदेश प्रदर्शित होगा तथा बोली संख्या तथा बोली प्रस्तुति की नियत तारीख एवं समय एवं अन्य संगत विवरण सहित बोली सारांश प्रदर्शित होगा ।

(xiv) बोली सारांश का प्रिंटआउट लेकर उसे बोली प्रस्तुति की पावतीस्वरूप अपने पास रखना होगा।

(xv) इच्छुक बोलीकर्ताओं को यह सलाह दी जाती है कि वे बोली प्रस्तुति की अंतिम तारीख तक इस वेबसाइट को नियमित रूप से देखें ताकि वे, शुद्धिपत्र/अनुशेष/संशोधन द्वारा वेबसाइट के माध्यम से निविदा में किए गए परिवर्तन/ आशोधन संबंधी जानकारी के बारे में अद्यतित रहें।

15. बोलीकर्ताओं की सहायता हेतु : -

i) निविदा दस्तावेज़ एवं उसमें निहित निबंधन एवं शर्तों से संबंधित कोई भी पूछताछ उस निविदा के, निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में उल्लिखित संबंधित संपर्क व्यक्ति को संबोधित की जानी चाहिए।

ii) बोली की ऑनलाइन प्रस्तुति की प्रक्रिया से संबंधित पूछताछ या सामान्यत: सीपीपी पोर्टल से संबंधित पूछताछ 24x7 पोर्टल हेल्पडेस्क को प्रेषित की जा सकती है ।

शर्तें :

16. निविदा का भाग 'क' (तकनीकी वाणिज्यिक बोली) खोलने के बाद मुख्य इंजीनियर, एनआरजी एक निरीक्षण दल का गठन करेंगे जो निविदाकार के चालू कार्य/ पूर्ण हुए कार्यों के चयनित कार्य स्थलों का दौरा करेंगे ताकि निम्नलिखित के आधार पर निविदाकारों की क्षमता का मूल्यांकन किया जा सके।

ए) पिछले 5 वर्षों के दौरान वित्तीय क्षमता और उनके टर्न ओवर ।

बी) कार्य के संबंध में कंपनी की तकनीकी क्षमता।

सी) पिछले 7 वर्षों के दौरान निविदाकार द्वारा निष्पादित कार्यों का स्वरूप।

डी) कंपनी की संघटनात्मक संरचना ।

ई) विषयगत कार्य को करने के लिए कंपनी द्वारा अपेक्षित आवश्यक संसाधन ।

एफ) समय एवं गुणवत्ता सजगता ।

जी) असंगत दावों और विवादों के बारे में कंपनी की प्रवृत्ति ।

एच) स्थल नियोजन क्षमता ।

आई) कार्य को बैक टू बैक / उप किराए पर देने हेतु कंपनी की प्रवृत्ति ।

17. भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में लागू सुरक्षा प्रक्रिया के अनुसार, कार्य शुरू करने से पहले भापअ केंद्र के सुरक्षा अनुभाग द्वारा ठेकेदारों की जांच की जाएगी ।

18. निविदा को खोलने के पश्चात किसी प्रकार के संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी ।

19. किसी शर्त या सशर्त छूट वाली निविदाओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। फिर भी, जिन निविदाओं में बिना किसी शर्त के छूट दी गई हो उन्हें स्वीकार किया जाएगा ।

20. यदि आवेदक द्वारा दी गई कोई भी सूचना बाद में गलत पाई जाती है तो उन्हें भापअ केंद्र में भविष्य में हमेशा के लिए निविदाकरण/कोई भी कार्य करने से रोक दिया जाएगा । यदि कार्य शुरू करने से पहले भी किसी भी उल्लंघन की सूचना, विभाग को प्राप्त होती है तो प्रभारी अभियंता निष्पादन गारंटी को पूर्ण रूप से जब्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

21. कार्य को पूरा करने की अवधि की गणना कार्य शुरू करने के लिए लिखित आदेश मिलने के 15वें या कार्य स्थल की सुपुर्दगी के पहले दिन, जो भी बाद में हो, से निविदा दस्तावेजों में यथा उल्लिखित, यदि कोई हो, चरणबद्ध तरीके के अनुसार होगी ।

22. निविदा को निविदा खुलने की तारीख से **180 (एक सौ अस्सी)** दिनों तक वैध रखा जाएगा ।

23. यदि बयाना जमा राशि (ईएमडी) हेतु मूल दस्तावेज़ प्राप्त करने की तथा निविदा खुलने की अंतिम तारीख को छुट्टी घोषित की जाती है तो उक्त तारीख को तदनुसार आगे के कार्य दिवस तक स्थगित माना जाएगा ।

24. बयाना राशि जमा के लिए किसी अनुसूचित बैंक की मूल सांवधि जमा रसीद/ डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक/ पे ऑर्डर तथा बैंक गारंटी जो भी लागू हो, को उपरोल्लिखित स्थान, तारीख एवं समय पर जमा किए जाने होंगे अन्यथा निविदाओं को अस्वीकार किया जा सकता है और उन पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

25. **बयाना राशि जमा के लिए चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।**

26. जिस ठेकेदार की निविदा स्वीकृत की गयी है, उसे अपने ठेके की विधिवत पूर्ति हेतु प्रतिभूति जमा के रूप में कार्य के निविदा मूल्य के 2.5% की राशि प्रस्तुत करनी होगी । इसके अतिरिक्त ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारंभ करने से पहले ठेके के निविदित मूल्य के 3% की समतुल्य राशि को निष्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा करना होगा जो निविदा की अनुसूची ‘एफ’ में यथा उल्लिखित कार्य के प्रारंभ करने की निर्धारित तारीख के बाद नहीं किया जा सकता है । **यह समयसीमा ठेकेदार के लिखित अनुरोध पर प्रभारी इंजीनियर द्वारा कार्यनिष्पादन गारंटी राशि के ऊपर प्रतिदिन 0.1% की दर पर विलंब शुल्क सहित अधिकतम 1 से 15 दिवस तक बढ़ाई जा सकती है ।** 3% की निष्पादन प्रतिभूति को बैंक गारंटी (यदि निष्पादन प्रतिभूति रु. 1.00 लाख से अधिक हो तो), अनुसूचित बैंक की आवधिक जमा पावती या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में भी स्वीकार की जाएगी।

27. प्रतिभूति जमा, ठेकेदारों के चालू बिल की सकल राशि से @2.5% की दर से कटौती द्वारा तब तक वसूली जाएगी जब तक यह राशि कार्य के निविदित मूल्य का 2.5% न हो जाए । प्रतिभूति जमा, सरकारी प्रतिभूतियां, अनुसूचित बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक की आवधिक जमा पावतियों के रूप में भी स्वीकार की जाएगी । इन्हें लेखा अधिकारी, भापअ केंद्र, मुंबई के नाम पृष्ठांकित किया जाना होगा । निष्पादन प्रतिभूति जमा की प्राप्ति पर सफल बोलीकर्ता की बयाना राशि जमा को लौटा दिया जाएगा, तथापि यदि निष्पादन प्रतिभूति जमा बैंक गारंटी के रूप में है, तो जारीकर्ता बैंक से बैंक गारंटी के सत्यापन की पुष्टि होने के उपरांत बयाना राशि जमा जारी की जाएगी।

28. **यदि सफल निविदाकार कार्य प्रारंभ करने की निर्धारित तारीख को या उससे पहले अनुसूची एफ में निर्दिष्टानुसार निर्धारित निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो विभाग (भापअ केंद्र) किसी अन्य अधिकार या उपाय पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के, निलंबन आदेश के तारीख से एक वर्ष की अवधि हेतु बोलीकर्ता को निलंबित करने के लिए स्वतंत्र होगा ।**

29. निविदा की स्वीकृति विभाग के पास सुरक्षित है जो सबसे कम मूल्य की निविदा को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है एवं इसके पास किसी भी निविदा अथवा सभी प्राप्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार है। वे सभी निविदाएं, जिनमें निर्धारित शर्तें पूरी न की गयी हों अथवा जो किसी भी दृष्टि से अपूर्ण होंगी उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

30. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार के पक्ष प्रचार पर मनाही है। पक्ष प्रचार करने वाले निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

31. निविदा स्वीकृत होने पर ठेकेदार द्वारा उन प्राधिकृत प्रतिनिधियों के नामों की सूचना प्रभारी अभियंता को दी जाए, जो प्रभारी अभियंता से निर्देश लेने के लिये जिम्मेदार होंगे।

32. विभाग समस्त निविदा अथवा निविदा के किसी भाग को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं निविदाकार उद्दृत दर पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं।

33. ठेकेदार द्वारा देय उगाही /कर

i) इस ठेके के संबंध ठेकेदार द्वारा प्रापण की गई वस्तु ओं के संबंध में लागू वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अथवा अन्य् करों का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाएगा और इस संबंध में किए गए किसी भी दावे पर सरकार विचार नहीं करेगी। तथापि, निविदा प्राप्ति की अंतिम तारीख, जिसमें बढ़ी हुई तारीख भी शामिल है, यदि कोई हो, को लागू जीएसटी घटक और ठेकेदार द्वारा सेवा आपूर्ति के समय प्रदान किए गए जीएसटी घटक (सीजीएसटी अधिनियम, 2017 में प्रावधान अनुसार) में कोई अंतर पाया जाता है तो इसका सत्यापन किया जाएगा।

ii) ठेकेदार को भुगतान किए जाने वाले प्रत्येक बिल से किए गए कार्य के सकल मूल्य के @1% की दर पर श्रम कल्याण उपकर काटा जाएगा।

iii) ठेकेदार को भुगतान किए जाने वाले प्रत्येक बिल में से यथा लागू आय कर एवं उप कर काटे जाएंगे।

iv) ठेकेदार को ईपीएफ और ईएसआईसी के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए तथा ठेकेदार ठेके के कामगारों के ईपीएफ एवं ईपीआईसी भुगतान संबंधित विभाग(ठेकेदार द्वारा भुगतान किया गया नियोक्ता के अंशदान) को करेगा और जब विभाग इस बात से संतुष्ट हो जाए कि इसका भुगतान वास्तव में और सही रूप से कर दिया गया है, तो विभाग, ठेकेदार को इसकी प्रतिपूर्ति कर देगा। बोलीकर्ता अपनी दरों में ईपीएफ और ईएसआईएसी की राशि को शामिल नहीं करेगा।
ठेकेदार सभी पात्र कर्मचारियों/श्रमिकों/ कामगारों के संबंध में इपीएफ अधिनियम,1952 के सभी प्रावधानों का पालन करेगा तथा प्रत्येक आरए बिल के साथ इसका दस्तावेजी प्रमाण नियमित रूप से जमा कराएगा।

v) सरकारी निदेशों के अनुसार कोई अन्य कर/उपकर की कटौती, ठेकेदार को समय-समय पर भुगतान किए जाने वाले प्रत्येक बिल में से की जाएगी।

34. यदि कोई निविदाकार वैधता की अवधि से पहले निविदा वापस लेता है अथवा निविदा की निबंधनों और शर्तों में ऐसे संशोधन करता है जो कि विभाग को मान्य न हो तो सरकार अन्य किसी अधिकार या कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बयाना राशि का 50% (पचास प्रतिशत) जब्त करने के लिए पूर्णत: स्वतंत्र हैं।

इसके अतिरिक्त, निविदाकार को कार्य की पुन: निविदाकरण प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

35.यह ई-निविदा आमंत्रण सूचना, निविदा दस्तावेज़, निर्माण संरक्षा नियमावली, तकनीकी विनिर्देश तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निविदाकरण के लिए दी गई सूचना एवं अनुदेश, ठेका दस्तावेज़ का एक भाग होगा।

36. सफल बोलीकर्ता को कार्य सौंपने के पश्चात, ठेकेदार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समय सारणी एवं नकदी प्रवाह विवरण प्रस्तुत करेगा जो करार का एक भाग होगा ।

37. जिस सफल बोलीकर्ता की निविदा स्वीकार की जाती है उसे बीएआरसी के अंदर काम करने वाले अपने सभी कार्मिकों यथा: इंजीनियरों, पर्यवेक्षकों एवं मजदूरों का अपने खर्चे पर पुलिस की विशिष्ट शाखा द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र (पीवीसी) प्राप्त करना आवश्यक होगा और जिसे तदनुसार ही कोट किया जाए । पीवीसी तीन वर्षों के लिए वैध होगा।

बोलीकर्ता कृपया नोट करें कि केवल पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र (पीवीसी) धारक कर्मचारियों को ही भापअ केंद्र परिसर के अंदर आने की अनुमति होगी और वे तदनुसार ही कोट करें ।

यदि सुरक्षा जांच के परिणामस्वरूप ठेकेदार/कंपनी/फर्म/मालिक और/अथवा उनके ठेके के कार्मिक के विरुद्ध कोई प्रतिकूल चरित्र एवं पूर्ववृत्त संबंधी अभ्युक्तियां/ अधिसूचना प्राप्त होती है तो कोई कारण बताए बिना/कारण बताओ नोटिस दिए बिना संविदा समाप्त करने का अधिकार भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के पास सुरक्षित हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा उक्त कार्रवाई के फलस्वरूप परिस्थितियों के तहत किसी नुकसान/दायित्व हेतु दावे का अधिकार ठेकेदार के पास नहीं होगा। ठेकेदार द्वारा, पऊवि/भापअ केंद्र द्वारा समय-समय पर जारी सुरक्षा अनुदेशों का पालन/अनुसरण न किये जाने पर सरकार के पास जमा की गई कार्यनिष्पादन प्रतिभूति और/अथवा प्रतिभूति जमा का आंशिक/पूर्ण रूप से जब्त करने का अधिकार भी भापअ केंद्र के पास सुरक्षित है।

अनुदेश :

38. ठेकेदार **https://eprocure.gov.in/eprocure/app** के साथ पंजीकृत होना चाहिए। जो ठेकेदार ऊपर उल्लेखित वेबसाइट पर पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें पंजीकृत होने की आवश्यकता है ।

39. इच्छुक बोलीकर्ता के पास निविदा दस्तावेज़ (एक्सेल/वर्ड फार्मेट) को खरीदने/डाउनलोड करने हेतु अनुरोध करने के लिए वैध क्लास-III डिजिटल हस्ताक्षर होने चाहिए । बयाना जमा राशि के लिए किसी अनुसूचित बैंक की सावधि जमा रसीद और या बैंक गारंटी के विवरण तथा अन्य निर्धारित कागज़ातों को उपलब्ध कराने के पश्चात ही बोली प्रस्तुत/अपलोड की जा सकती है।

40. निविदाएं उक्त एनआईटी विवरण में यथोल्लिखित समय एवं तारीख तक ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। सर्वप्रथम ईएमडी प्राप्ति की जांच की जाएगी। यदि वह सही पाया जाता हैं, तो भाग-क खोला जाएगा। भाग क के खुलने के पश्चात, मूल्यांकन हेतु, ठेकेदार के जारी/पूर्ण किए गए समरूप कार्य एवं कार्यालयों का दौरा किया जाएगा तथा उनके तकनीकी-वाणिज्यिक बोली संबंधी दस्तावेजों का मूल्यांकन किया जाएगा और तदनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदाकर्ताओं को योग्य/अयोग्य निविदाकर्ताओं को योग्य/अयोग्य घोषित किया जाएगा। योग्य बोलीकर्ताओं की निविदा का भाग ख (वित्तीय बोली) सूचित की गई तारीख एवं समय पर खोला जाएगा। भाग 'ख' के खुलने की तारीख की सूचना सभी बोलीकर्ताओं को सीपीपीपी पोर्टल वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी।

41. वित्तीय प्रस्ताव/वाणिज्यिक बोली/BoQ प्रारूप इस निविदा दस्तावेज़ सहित BoQ_XXXX.xls के रूप में लिंक https://eprocure.gov.in/eprocure/app. पर उपलब्ध है। बोलीकर्ताओं को यह सलाह दी जाती है कि वे इस BoQ_XXXX.xls को यथावत डाउनलोड करें एवं निर्धारित कॉलम में अपने प्रस्ताव/दर उद्धृत करें तथा उसे वाणिज्यिक बोली में अपलोड करें। **बोलीकर्ता डाउनलोड की गई मूल्य बोली टेम्प्लेट के**

साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़/संशोधन नहीं करेंगे। यदि यह पाया जाता है कि उक्त टेम्प्लेट के साथ छेड़छाड़ की गई है या किसी प्रकार का परिवर्तन किया गया है, तो निविदा को पूर्णत: अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा विभाग द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी।

42. निविदा खुलने की तारीख के दिन, ठेकेदार लॉग इन करके बोली खुलने के बाद उसकी स्थिति देख सकते हैं।

43. ठेकेदार प्रत्येक मद की दर कोट करना सुनिश्चित करें। अंकों में दर कोट करने वाला कॉलम आसमानी रंग का है। कोई भी सेल चुनते (सिलेक्ट) समय एक चेतावनी दिखाई देगी कि प्रत्येक सेल में **मूल्य की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से की जाए की जाए भले ही यह “0” (शून्य) क्यों न हो।**

नोट: **संभावित बोलीकर्ता, बोली प्रस्तुत करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्होंने एनआईटी के समस्त मानदंडों को पूरा किया है। विभाग के पास, निर्धारित मानदंडों को पूरा न कर पाने वाली एजेंसियों की निविदाओं पर विचार न करने का अधिकार सुरक्षित है।**

44. मूल प्रति से स्कैन किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची जिन्हें बोलीकर्ता द्वारा बोली प्रस्तुतीकरण की अवधि के भीतर अपलोड करना है :-

I चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित वित्तीय टर्नओवर

ii चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित लाभ एवं हानि विवरण

iii नवीनतम बैंक ऋणशोधन क्षमता प्रमाणपत्र

iv पिछले सात वर्षों में पूर्ण किए गए समरूप कार्यों की सूची जिसमें निम्नलिखित सूचना दर्शाई जाए: i) किस एजेंसी के लिए कार्य निष्पादित किया गया है, ii) कार्य का मूल्य, iii) कार्य समापन की निर्धारित एवं वास्तविक अवधि, iv) अर्हक समरूप कार्यों के लिए ग्राहकों द्वारा जारी कार्य निष्पादन प्रमाणपत्र।

v निम्नलिखित जानकारी सहित वर्तमान में चल रहे कार्यों की सूची: i) एजेंसी ii) कार्य का मूल्य, iii) कार्य समापन का निर्धारित समय/ वर्तमान स्थिति।

vi निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी की सूची।

vii तकनीकी कर्मचारियों की सूची।

viii प्रमाणपत्र :

a) ए. पंजीयन प्रमाणपत्र, यदि कोई हो तो।
b) बी. जीएसटी के लिए पंजीयन प्रमाणपत्र।
c) सी. पैन (स्थायी खाता संख्या) पंजीयन
d) डीईपीएफ. एवं ईएसआईसी के लिए पंजीयन प्रमाणपत्र।

ix **ईएमडी** हेतु किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी एफडीआर/ डिमांड ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर/ बैंकर्स चेक।

x **ईएमडी** के एक भाग, **यदि कोई हो,** तो उसके लिए किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी

xi बोलीकर्ता के पत्र शीर्ष पर यह वचन बंध कि पात्र समरूप कार्य ‘एक के बाद एक’ के आधार पर किसी अन्य ठेकेदार के माध्यम से निष्पादित नहीं किए गए

xii. बोलीकर्ता के पत्रशीर्ष पर वचनबंध निम्नवत होगा:

"मैं/हम, एतद् द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए अनुसूची “एफ” में निर्धारित समय के भीतर विनिर्दिष्ट कार्य के निष्पादन के लिए अर्थात मात्राओं की सूची एवं सभी प्रकार के विनिर्देशों, अभिकल्पों, आरेखों ओर भाग-क की धारा-II में लिखित रूप से संदर्भित अनुदेशों एवं अनुबंध के सामान्य खंडों के खंड-11 और ऐसी सामग्री जो यथा लागू ऐसी शर्तों के अनुरूप उनकी पूर्ति हेतु

उपलब्ध कराई जाती है, के साथ निविदा प्रस्तुत करता हूं/ करते हैं। "

xiii अनुलग्नक 1 में दर्शाए गए अनुसार बोलीकर्ता के पत्र शीर्ष पर निविदा स्वीकृति पत्र ।
बोलीकर्ता के पत्र शीर्ष पर निम्नानुसार वचनबंध
"हम _____________ (बोलीकर्ता का नाम) यह वचनबंध देते हैं कि हम निविदा संख्या के संबंध में पीपी एलसी नीति के अनुसार-'श्रेणी । स्थानीय आपूर्तिकर्ता' हेतु योग्यता के लिए अनिवार्य स्थानीय सामग्री आवश्यकता को पूरा करते है। बोली में स्थानीय सामग्री का प्रतिशत (एलसी) _____% है।"

टिप्पणी : तकनीकी मूल्यांकन के दौरान यदि कोई दस्तावेज़ नहीं पाया जाता है तो निरीक्षण समिति उसे प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है ।

45. **बोलीकर्ता को निम्नलिखित भरना है:**

ए) भाग-क (तकनीकी वाणिज्यिक बोली)

बी) अनुसूची - 'ख'(वित्तीय बोली- मात्रा की अनुसूची)

46. पात्र स्रोत देश :

भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीकर्ता को सार्वजनिक प्रापण प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एफ सं. 6/18/2019-PPD दिनांकित 23.07.2020 के माध्यम से जारी आदेश (सार्वजनिक प्रापण संख्या 1) तथा (सार्वजनिक प्रापण संख्या 2) तथा उसके समय-समय पर जारी अनुशेष का अनुपालन करना होगा। साथ ही, बोलीकर्ता को परिशिष्ट-'एफ' में दिये प्रोफार्मा के अनुसार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि बोली प्रस्तुत करने के दौरान किसी भी समय या ठेका प्रदान किये जाने के बाद यह पाया जाता है कि उक्त घोषणा या प्रमाणपत्र गलत है या त्रुटिपूर्ण है, तो भारत में संबंधित कानून के तहत अनुमेय अन्य कार्रवाइयों सहित उक्त ठेके को समाप्त कर दिया जाएगा।

परिशिष्ट – एफ

टिप्पणी:

1. इच्छुक एजेंसियां पंजीकरण हेतु **https://eprocure.gov.in/eprocure/app** वेबसाइट देख सकती हैं।
2. निविदा दस्तावेज़ से संबंधित सहायता/स्पष्टीकरण के लिए संपर्क **(022) 69291156/ 69297295**
3. ई निविदाकरण में पंजीयन एवं सहभागिता हेतु सहायता के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों से संपर्क करें:

   ए) 24x7 सीपीपी पोर्टल हेल्पडेस्क - 0120-4001002, 0120-4001005, 0120-6277787

   बी) स्थानीय हेल्पडेस्क **श्री भूषण/ श्री मयूर** 022 25487480

   सी) **ईमेल:** support-eproc@nic.in
4. **साइट विजिट/स्पस्टीकरण हेतु अनुरोध भेजने के लिए ईमेल आई डी**

   सेवा में – **tsamrat@barc.gov.in**

   प्रतिलिपि- **samrat@barc.gov.in / ftqureshi@barc.gov.in**

   कृपया नोट करें कि भापअ केंद्र में प्रवेश के लिए फोटो-पहचान (पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेन्स, मतदाता पहचान पत्र,नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र,आदि) की आवश्यकता होगी। बोलीकर्ता द्वारा फोन नं. **(022) 69291156/ 69297295** पर संपर्क करके पूर्व अनुमति लेना जरूरी है ताकि भापअ केंद्र में प्रवेश हेतु व्यवस्था की जा सके।

4 **यदि एनआईटी के अंग्रेजी एवं हिंदी पाठ के बीच कोई अंतर हो तो अंग्रेजी पाठ को सही माना जाए।**

स्मिता मनोहर
04/10/2024

मुख्य अभियंता और निदेशक
नाभिकीय पुनचक्रण: वर्ग
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से

श्रीमती स्मिता मनोहर / Smt. Smitha Manohar
निदेशक, नाभिकीय पुनश्चक्रण वर्ग
Director, Nuclear Recycle Group
ट्रॉम्बे / Trombay, मुंबई / Mumbai - 400 085.

FTQ
डॉ. मु. क़ुरैशी